<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 30.01.2026</u>

<u>शहीदों की स्मृति में पुलिस लाइन व पुलिस कार्यालय में 02 मिनट का मौनः–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 30.01.2026 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की पुण्य स्मृति में रिजर्व पुलिस लाइन, गोण्डा में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ 02 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इसी क्रम में पुलिस कार्यालय गोण्डा में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय द्वारा भी अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ 02 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को नमन किया गया।

इस अवसर पर सभी अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा शहीदों के त्याग व बलिदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 30.01.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में लैंगिक उत्पीडन निवारण अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एण्टीरोमियो टीम के साथ गोष्ठीः–

गोण्डा। आज दिनांक 30.01.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा स्थित सभागार कक्ष में क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में जनपद की समस्त एण्टीरोमियो टीम के अधिकारी एवं कर्मचारीगणों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सुदृढ़ करना तथा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में पुलिस कार्मिकों को जागरूक करना रहा। गोष्ठी के दौरान उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगणों को बताया गया कि लैंगिक उत्पीड़न महिलाओं के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव का निषेध) एवं अनुच्छेद 21 (प्राण एवं व्यक्तिगत गरिमा के साथ जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित, भयमुक्त एवं सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना प्रत्येक संस्थान एवं अधिकारी का दायित्व है। गोष्ठी में अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न की कानूनी परिभाषा, आंतरिक परिवाद समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति का गठन एवं भूमिका, परिवाद दर्ज करने की समय–सीमा व प्रक्रिया, जांच की कार्यवाही, पीड़िता को अंतरिम राहत, दोष सिद्ध होने पर दंडात्मक कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा द्वारा एण्टीरोमियो टीम को निर्देशित किया गया कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर सतर्क रहें, सार्वजनिक स्थलों पर प्रभावी गश्त करें तथा किसी भी प्रकार की लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल, निष्पक्ष एवं संवेदनशील कार्यवाही सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर डब्ल्यू0सी0एस0ओ0 प्रभारी सहित जनपद के समस्त थानों के एण्टीरोमियो टीम के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.01.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में अपराधियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त अभियान जारी, थाना धानेपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया जिलाबदर

गोण्डा। जनपद गोण्डा में कानून–व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराधियों, गुण्डों एवं शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए गए हैं।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में सक्रिय एक कुख्यात/असामाजिक तत्व विपिन सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह निवासी अजबनगर, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा को चिन्हित किया गया, जिसकी गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति एवं कानून–व्यवस्था के लिए प्रतिकूल पाई गईं। अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए उसके विरुद्ध उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई तथा सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा उसे जिलाबदर घोषित कराया गया। जिलाबदर आदेश निर्गत होने के पश्चात थाना धानेपुर पुलिस द्वारा नियमानुसार अभियुक्त की सार्वजनिक मुनादी कराते हुए उसे जनपद गोण्डा की सीमाओं से बाहर भेजा गया, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे तथा आम नागरिक भयमुक्त वातावरण में जीवन यापन कर सकें। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा ऐसे अन्य चिन्हित अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी गुंडा अधिनियम, निरोधात्मक धाराओं एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही करते हुए जिलाबदर/निरोधात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया निरंतर जारी है।

मीडिया सेल, गोण्डा।